



#### भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

# नौवहन महानिदेशालय, मुंबई DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा. संख्या: सीआर/एसआईडी-सीडैक(1)/14(IV)

दिनांक:- 08.07.2019

क्रू अनुभाग परिपत्र संख्याः 04/2019

विषय: शारतीय समुद्रकर्मियों को समुद्रकर्मी पहचान प्रलेख (एसआईडी) जारी करना - संबंधी

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 02/2019 (फा. संख्या: सीआर/एसआईडी-सीडैक(1)/14(IV) दिनांक 09.04.2019) के माध्यम से दिनांक 05.04.2019 को औपचारिक रूप से भारतीय समुद्रकर्मियों के लिए एसआईडी आरंभ किया गया।

- 2. वर्तमान में सरकारी नौवहन कार्यालय, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में डाटा एकत्रित करने एवं एसआईडी जारी करने का कार्य किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि यह सुविधा समुद्री वाणिज्य विभागों में भी लाई जाए एवं नोएडा, गोवा, न्यू मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तनम एवं कांडला नामक छह सवावि में भी डाटा कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहें हैं, जो दिनांक 01.08.2019 से कार्य करना आरंभ करेंगे।
- 3. एसआईडी को शुरू करते समय, समुद्रकर्मियों द्वारा चुने गए तीनों डाटा कलेक्शन सेंटर में प्रतिदिन अधिकतम 20 स्लॉट बुक कर सकते थे, जो क्रमशः सरकारी नौवहन कार्यालय मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में प्रतिदिन 150, 100 एवं 100 तक बढ़ाये गये हैं। यह देखा गया है कि समुद्रकर्मियों द्वारा इन स्लॉटों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। समुद्रकर्मियों से यह अनुरोध है कि डाटा कलेक्शन के लिए उपलब्ध सभी स्लॉटों का पूरा उपयोग किया जाए। सभी नौवहन कंपनियों एवं समुद्रकर्मी यूनियनों से यह अनुरोध है कि समुद्रकर्मियों में इस जानकारी का प्रचार-प्रसार करें।
- 4. नोएडा, गोवा, न्यू मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तनम एवं कांडला इन छह सवावि में नए डाटा कलेक्शन सेंटर्स के लिए स्लॉट की बुकिंग दिनांक 22.07.2019 एवं दिनांक 01.08.2019 से आगे डाटा कलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) से भी अनुरोध है कि क्षेत्र विशेष से संबंधित सरकारी नौवहन कार्यालय / समुद्री वाणिज्य विभाग के सहयोग से यह देखा जाए कि प्रतिदिन उपयोग में कितने स्लॉट नहीं लाए गए हैं ताकि समुद्री प्रशिक्षण संस्थान के संबंधित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा डाटा कलेक्शन के लिए उपयोग में न लाए गए स्लॉटों को उचित रूप से उपयोग में लाया जा सके। 5. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुभाष बरगुजर)

उप नौवहन महानिदेशक

प्रतिलिपि:-

- 1. सभी समुद्री वाणिज्य विभाग
- 2. सरकारी नौवहन कार्यालय मुंबई/कोलकाता/चेन्नई
- 3. सीडैक, मुंबई
- में नौमिन की वेबसाइट पर लगाने के लिए ई-गवर्नेस अनुभाग





#### भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

## नौवहन महानिदेशालय, मुंबई DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

F.No. CR/SID-CDAC(1)/14(IV)

Date: 08.07.2019

### Crew Branch Circular No. 04 of 2019

Subject: Issuance of seafarers identity document(SID) to Indian seafarers - reg.

The issuance of SIDs to Indian seafarers has been formally rolled out on 05.04.2019 vide Merchant Shipping Notice No. 02 of 2019 (F.No. CR/SID-CDAC (1)/14(IV) dated 09.04.2019).

- 2. Collection of data and issuance of SID is presently being done at Government Shipping Offices, Mumbai, Kolkata & Chennai. It has also been proposed to extend this facility to MMDs and data collection centers are being setup in 6 MMDs at Noida, Goa, New Mangalore, Kochi, Vizag & Kandla to function w.e.f. 01.08.2019.
- 3. At the time of rolling out of SID, the facility to book a slot at a data collection center chosen by seafarer was maximum 20 slots per day in all 3 data collection centers, which has further been enhanced to 150, 100 & 100 slots per day at Government Shipping Offices Mumbai, Kolkata & Chennai respectively. It has been observed that these slots are not being fully utilized by the seafarers. The seafarers are requested to fully utilize all the available slots for the purpose of data collection. All shipping companies & seafarer unions are also requested to disseminate the said information amongst seafarers.
- 4. The slots for the new data collection centers at 6 MMDs i.e., Noida, Goa, New Mangalore, Kochi, Vizag & Kandla will be available for booking from 22.07.2019 for data collection from 01.08.2019 onwards. Further, the Maritime Training Institutes (MTIs) are also requested to check the availability of unutilized slots per day in co-ordination with the jurisdictional Govt. Shipping Offices/Mercantile Marine Departments so that the unutilized slots available for data collection can be properly utilized for respective trainees in the MTIs.
- 5. This issues with the approval of Director General of Shipping and Additional Secretary to the Govt. of India.

(Subhash Barguzer)
Deputy Director General of Shipping

## Copy to:

- 1) All Mercantile Marine Departments.
- 2) Govt. Shipping Office Mumbai/Kolkata/Chennai.
- 3) CDAC Mumbai.
- 4) E-governance Branch for placing in DGS website.